राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 25 (20)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांक 29 AUG 2022

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
कुम्भा मार्ग, सैक्टर–18, प्रताप नगर,
टोंक रोड़, जयपुर।

विषयः–सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मॉडल) के अन्तर्गत बीएससी नर्सिंग कोर्स की 60 सीट का अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु।

महोदय,

निम्नांकित संस्था के आवेदन पर अनापत्ति पत्र जारी करने के संबंध में सक्षम स्तर पर विचार किया जाकर **बीएससी नर्सिंग कोर्स 60 सीट** हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1.	आवेदक/संस्था/ट्रस्ट/समिति का नाम व पता	**श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, किशनगढ, अजमेर**
2.	नर्सिंग कॉलेज का नाम व पता	**श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज, किशनगढ़ अजमेर**
3.	नर्सिंग कॉलेज का प्रकार/कोर्स	बीएससी नर्सिंग कोर्स ((पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत)
4.	प्रस्तावित छात्र संख्या/क्षमता	**60**

अनापत्ति पत्र निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित किया जाता हैः–

1. आवेदक आवेदनकर्ता द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/दिशानिर्देशों की पालना की जावेगी।
2. सभी स्वीकृत सीटों पर छात्रों का प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारतीय नर्सिंग परिषद/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में होगा।
3. निजी नर्सिंग कॉलेजों को छात्रों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय उपलब्ध नहीं कराये जायेगें। इस संबंध में किसी भी स्तर पर राज्य सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. अगर कोई संस्था भारतीय नर्सिंग कौंसिल/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने में असफल रहेगी तो राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी और उक्त संस्था के विद्यार्थियों को कोर्स पूरा कराने का दायित्व संबंधित संस्था का ही होगा।

5. निजी नर्सिंग कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन देने में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. आवेदक संस्था द्वारा भौतिक सुविधाऐं (फिजिकल फेसेलिटी), नर्सिंग टीचिंग/स्टाफ फेकल्टी/क्लिनिकल फेसिलिटी आदि से संबंधित आई0एन0सी0 के दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
7. निजी नर्सिंग कॉलेजों मे प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने एवं संशोधन करने हेतु राज्य सरकार/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सक्षम व स्वतंत्र रहेगें।
8. राज्य सरकार व संस्था के बीच एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है। एम0ओ0यू0 में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित कर नर्सिंग स्कूल/कॉलेज संचालित किया जावे।

भवदीय,

-sd-

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद्, 8वीं मंजिल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं0 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेस–1, क्राउन प्लाजा होटल के पास, नई दिल्ली–110020
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. सचिव, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, c/o आर0के0 मार्बल प्रा0लि0 मकराना रोड, मदनगंज किशनगढ–305801, अजमेर।
7. अध्यक्ष, प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ जयपुर, 17, मोतीलाल अटल रोड़, संगम हॉटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फेडरेशन, ई–277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
9. महाप्रबन्धक, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, c/o आर0के0 मार्बल प्रा0लि0 मकराना रोड, मदनगंज किशनगढ–305801, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

२१/४/२०२२

(सुनील कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 24 (18)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांक 29 AUG 2022

रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर।

विषयः–सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मॉडल) के अन्तर्गत जीएनएम नर्सिंग कोर्स की 60 सीट का अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु।

महोदय,

निम्नांकित संस्था के आवेदन पर अनापत्ति पत्र जारी करने के संबंध में सक्षम स्तर पर विचार किया जाकर **जीएनएम नर्सिंग कोर्स 60 सीट** हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1.	आवेदक/संस्था/ट्रस्ट/समिति का नाम व पता	**श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, किशनगढ, अजमेर**
2.	नर्सिंग कॉलेज का नाम व पता	**श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स नर्सिंग स्कूल, किशनगढ़ अजमेर**
3.	नर्सिंग कॉलेज का प्रकार/कोर्स	जीएनएम नर्सिंग कोर्स (पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत)
4.	प्रस्तावित छात्र संख्या/क्षमता	**60**

अनापत्ति पत्र निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित किया जाता हैः–

1. आवेदक आवेदनकर्ता द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद/राज़स्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/दिशानिर्देशों की पालना की जावेगी।
2. सभी स्वीकृत सीटों पर छात्रों का प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारतीय नर्सिंग परिषद/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में होगा।
3. निजी नर्सिंग कॉलेजों को छात्रों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय उपलब्ध नहीं कराये जायेगें। इस संबंध में किसी भी स्तर पर राज्य सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. अगर कोई संस्था भारतीय नर्सिंग कौंसिल/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने में असफल रहेगी तो राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी और उक्त संस्था के विद्यार्थियों को कोर्स पूरा कराने का दायित्व संबंधित संस्था का ही होगा।

5. निजी नर्सिंग कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन देने में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. आवेदक संस्था द्वारा भौतिक सुविधाऐं (फिजिकल फेसेलिटी), नर्सिंग टीचिंग/स्टाफ फेकल्टी/क्लिनिकल फेसिलिटी आदि से संबंधित आई0एन0सी0 के दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
7. निजी नर्सिंग कॉलेजों मे प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने एवं संशोधन करने हेतु राज्य सरकार/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सक्षम व स्वतंत्र रहेगें।
8. राज्य सरकार व संस्था के बीच एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है। एम0ओ0यू0 में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित कर नर्सिंग स्कूल/कॉलेज संचालित किया जावे।

भवदीय,

-sd-

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद्, 8वीं मंजिल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं0 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेस-1, क्राउन प्लाजा होटल के पास, नई दिल्ली-110020
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर-18, प्रताप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
6. सचिव, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, c/o आर0के0 मार्बल प्रा0लि0 मकराना रोड, मदनगंज किशनगढ-305801, अजमेर।
7. अध्यक्ष, प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ़ जयपुर, 17, मोतीलाल अटल रोड़, संगम हॉटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फेडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
9. महाप्रबन्धक, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, c/o आर0के0 मार्बल प्रा0लि0 मकराना रोड, मदनगंज किशनगढ-305801, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

28/8/2014

(सुनील कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव